सं. सीडीएन/80/2017-समन्वय

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 जून, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में मई, 2021 के महीने के लिए मासिक सारांश

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2021 के महीने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मासिक सारांश के अवर्गीकृत अंश की प्रति हिंदी में इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

हस्ता/-

(रूपेश कुमार सिन्हा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011 -2338 3881

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य

संलग्नकों की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन (श्री भास्कर दास गुप्ता, निदेशक)
5. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक)
6. अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग
7. प्रधान महानिदेशक (एम एंड सी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
8. भारत सरकार के सभी सचिव
9. मंत्री, डब्ल्यूसीडी के निजी सचिव/राज्यमंत्री, डब्ल्यूसीडी के निजी सचिव
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमडब्ल्यूसीडी, मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ

<u>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में मई, 2021 के महीने के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट</u>

मई, 2021 में समाप्त माह के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उपाय

1.1 26.05.2021 को सचिव, एमडब्ल्यूसीडी ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दी।

1.2 कोविड-19 की तीसरी लहर तथा बच्चों पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में मीडिया की रिपोर्टों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में 24.05.2021 को बैठक हुई। बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने भाग लिया।

1.3 कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्याओं को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए 22 मई, 2021 और 14 मई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आर्थिक एवं कल्याणकारी उपायों पर अधिकार प्राप्त समूह की दो बैठकें हुईं।

1.4 कोविड-19 के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए अभियान योजना पर चर्चा करने के लिए यूनीसेफ(भारत) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 13.05.2021 को बैठक हुई

2. चल रही कोविड महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों की देखरेख की स्थिति और आवश्यकताओं के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

सचिव, एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में 11.05.2021 को चल रही कोविड महामारी के दौरान महिलाओं एवं बच्चों की देखरेख की स्थिति और आवश्यकताओं के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/प्रभारी सचिवों ने भाग लिया।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पुनर्गठित मिशनों/योजनाओं पर चर्चा करने के लिए ईएफसी बैठक

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 21.05.2021 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सचिव(व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई।

4. अन्य बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी :

4.1 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पर अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक 28.05.2021 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।

4.2 सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में 10.05.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकार प्राप्त समूह 5 की बैठक हुई।

4.3 21.05.2021 और 28.05.2021 को आर्थिक एवं कल्याणकारी उपायों पर अधिकार-प्राप्त समूह की दो बैठकें हुईं।

4.4 उच्चतम न्यायालय के किशोर न्याय समिति के साथ उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियों के अध्यक्षों की अध्यक्षता में 05.05.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई।

4.5 ट्रैक चाईल्ड और केयरिंग्स पोर्टल के संबंध में 18.05.2021 को सीईओ, माई गर्व(इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अध्यक्षता में बैठक हुई।

4.6 'महिला नेतृत्व की कुंजी के रूप में महिला प्रतिभा पाईपलाइन' के संबंध में इटली की अध्यक्षता में 04.05.2021 को जी 20 सचिवालय का दूसरा पूर्ण सत्र।

4.7 प्रो0 मार्गेट कोबिया, मंत्रिमंडल सचिव, लोक सेवा, युवा एवं जेंडर मामले, केन्या सरकार की अध्यक्षता में 10.05.2021 को राष्ट्रमंडल महिला कार्य मंत्री कार्य समूह(सीडब्ल्यूएएमएजी) की बैठक।

4.8 'शिक्षा के डिजिटल बदलाव पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन : एसडीजी 4 की ओर ले जाने वाली सड़क' के संबंध में 06.05.2021 को वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से बैठक।

4.9 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 10.05.2021 और 11.05.2021 को 'एसिड हमला : जघन्य अपराध: निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष' पर आयोजित दो दिवसीय परामर्श।

4.10 आईआईएम, बैंगलौर के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 21.05.2021 को 'ग्लास सीलिंग तोड़ना-महिलाओं के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत को साकार करना' और 'उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का सशक्ततीकरण' पर दो वेबिनार का आयोजन किया गया।

5. कोविड-19 के प्रसार के मद्देनज़र महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण का सुनिश्चय करने के उपाय:

5.1 वन स्टॉप सैंटर(ओएससी), स्वाधार गृह, उज्ज्वला गृह, कामकाजी महिला हॉस्टल(डब्ल्यूडब्ल्यूएच), बाल देखरेख संस्थाओं(सीसीआई), विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों(एसएए) आदि जैसी संस्थाओं में कोविड-19 की स्थिति की दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह पता लगाने के लिए दैनिक/साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टें मंगाई जाती हैं कि क्या इन संस्थाओं में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं।

5.2 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी साप्ताहिक आधार पर स्थिति की समीक्षा कीरती हैं।

6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीवाई):

मई, 2021 के महीने के दौरान 2.03 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत थे। 6.16 लाख से अधिक आवेदन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर(पीएमएमवीवाई-सीएएस) पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए। 96.44 करोड़ रुपये से अधिक के मातृत्व लाभ संवितरित किए गए।

01.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार 2.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत थे; 1.98 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया; 5.99 करोड़ से अधिक

आवेदन पीएमएमवीवाई-सीएएस पर प्रविष्ट किए गए 5.3 करोड़ से अधिक आवेदनों को भुगतान किया गया तथा योजना के 8665.75 करोड़ रुपये से अधिक के मातृत्व लाभों का संवितरण किया गया।

7. पोषण ट्रैकर:

30.05.2021 तक की स्थिति के अनुसार, पोषण ट्रैकर पर 8,84,00,966 लाभार्थी और 12,87,353 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पंजीकृत की गई हैं, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 01.03.2021 को लांच किया गया था।

8. वन स्टॉप सैंटर और महिला हैल्पलाइन

घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श/सहायता, अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए लॉकडाउन की अवधि सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 704 वन स्टॉप सैंटर(ओएससी) कार्यशील हैं। निवारी(मध्यप्रदेश), चेन्नई-ए और चेन्नैई-बी(तमिलनाडु), लेह(संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख) में चार नए ओएससी कार्यशील किए गए हैं। इसके अलावा, लॉकडाउन की अवधि के दौरान हिंसा या कठिन स्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन टेलीफोनिक सहायता प्रदान करने के लिए 34 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हैल्पलाइन कार्यशील हैं। नवीनतम डब्ल्यूएचएल त्रिपुरा में कार्यशील किया गया है।

9. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

9.1 विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अंत:क्रिया एवं संवाद के लिए नियमित आधार वीडियो कॉन्फ्रैंस का आयोजन किया जा रहा है।

9.2 मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस के पूर्णरुपेण कार्यान्वयन से सरकारी खजाने की बचत हुई है। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में अंतरमंत्रालयी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाते हैं।

9.3 सभी नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं/अधिनियम/स्वीकृति आदेश आदि सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किए जाते हैं ताकि हितधारकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें।

10. लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निस्तारित लोक शिकायतों की संख्या	माह के अंत में (31.05.2021) लंबित लोक शिकायतों की संख्या
442	53

*****